



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, मंगलवार, 11 अगस्त, 2026 ई०

श्रावण 20, 1948 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

परिवहन अनुभाग-1

संख्या- 420965 / ix-1 / 2026 / E-55075-246 / IX-1 / 2004

देहरादून, 11 अगस्त, 2026

अधिसूचना

एतद्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या-59, वर्ष 1988) की धारा 68 की उपधारा (2) सपठित उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम-57 के उपनियम (8) (दो) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (3) के अधीन सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों में कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अधिसूचना के जारी होने की तिथि से परिवहन आयुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड में तैनात निम्नांकित उप परिवहन आयुक्तों को सरकारी सदस्य नामित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०सं०	प्राधिकरण का नाम	नामित सदस्य का नाम
1	1. सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून। 2. सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, पौड़ी गढ़वाल।	श्री शैलेश तिवारी, उप परिवहन आयुक्त
2	1. सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, अल्मोड़ा। 2. सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी।	श्री सुनील शर्मा, उप परिवहन आयुक्त

आज्ञा से,

रविनाथ रामन,

सचिव।